न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 54/16

GCMS NO 2016/00015

1. कृष्ण कुमार
2. राजेन्द्र कुमार
3. महावीर प्रसाद
4. दामोदर पिसरान रामभजन जातियान धाकड निवासीयान चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
5. कैलाश पुत्र कृष्ण कुमार
6. मुरली
7. मनोहर
8. धर्मेन्द्र पुत्रान कृष्ण कुमार जातियान धाकड निवासीयान चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर (मृतक)

1/1. विमल

1/2. मुकेश

1/3. रमेश पिसरान रामस्वरूप जातियान धाकड निवासीयान चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

1/4. संतरा बेवा रामस्वरूप जाति धाकड निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

2. तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्ध मु0नं0 247/99 निर्णय व डिक्री दिनांक 7.2.02 न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री आबिद अली

दिनांक 03.06.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 7.2.02 न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ द्वारा दावा स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि मौजा चौथ का बरवाडा के खसरा न0 664 रकबा 1 बीघा 17 [illegible] भूमि वादी को आवंटित हुई है। आवंटित भूमि पर वादी काबिज है। वादी [illegible] भूमि पर काबिज होकर शांति पूर्वक काश्त कर लाभ अर्जित करे लेकिन [illegible] जो की वादी से [illegible] रखते है, उक्त आवंटन शुदा कब्जे शुदा भूमि को छीनने पर आ[illegible]रा हो गये है। प्रति[illegible] संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

ने दिनांक 25.7.99 को विवाद पैदा हुआ प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी जा रही है कि वादी के खेत की फसल बरवाद कर देगे। अतः प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार की कोई मदालखत मजाहमत न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद पत्र स्वीकार स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से परे होने से निरस्त योग्य है। वाद पत्र मे वर्णित आराजी अपीलांट की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है तथा उक्त भूमि बाबत प्रकरण विभिन्न न्यायालयो मे विचाराधीन रहे है तथा आराजी खसरा न0 664 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि का नियमन नही किया जा सकता है। क्योकि उक्त विवादास्पद आराजी पूर्णतः छोटी पटटी के रूप मे कृष्ण कुमार धाकड के नाम नीलामी बौली मे सबसे उच्च वोली लगने से आवंटन हुई थी। तथा उक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी की मेड के पास आपस मे लगी हुई भूमि है जिस पर अपीलांट नीलामी के दिन से काबिज काश्त होकर लाभान्वित होता चला आ रहा है। इस बात पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व तरीके से पारित की है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही कर अपना निर्णय व डिक्री पारित किया है अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नही किया है ना ही प्रार्थीगण को जबाब का कोई अवसर प्राप्त हुआ है। जिससे की वास्तविक स्थिति अधिनस्थ न्यायालय मे समक्ष आती। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। प्रकरण मे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रेस्पो0 को 14.12.90 को उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी द्वारा रेगूलाईज की गई थी तथा उक्त आदेश को खिलाफ कानून मानते हुए स्वयं उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 4.11.92 को खारिज कर दिया। उक्त रेगूलाईज के विरूद्व आज भी प्रकरण अति0जिला कलेक्टर के यहॉ विचाराधीन है। प्रकरण को माननीय राजस्व मंडल द्वारा रिमाण्ड कर अति0जिला कलेक्टर को प्रतिप्रेषित किया गया है इससे स्पष्ट है कि रेस्पो0 न0 1 का नियमन आदेश आज भी जॉच के स्तर पर है । अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त संपूर्ण तथ्यो को इग्नोर करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना [illegible] है उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है तथा पारित डिक्री त्रुटिपूर्ण [illegible] है । इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तनकीयात कायम नही की गई है जबकि स्थाई निषेधाज्ञा के दावे मे तनकीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कायम किया जाना न्यायिक होता है। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे पीठासीन अधिकारी के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होना आवश्यक है जो अपीलाधीन निर्णय मे नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25.2.25 को स्वीकार किया जा चुका है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 7.2.02 मु0न0 247/99 अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुनः अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने के आदेश पारित किये जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि आराजी खसरा न0 664 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा भूमि रेस्पो/वादी को आवंटित हुई है। आवंटित भूमि पर रेस्पो0/वादी काबिज है। जिसका रेस्पो/वादी को अधिकार है। अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजीयात पर रेस्पो/वादी के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न करने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/रेस्पो0 द्वारा गवाह पी डब्लू 1 रामावतार व पी डब्लू 2 रामस्वरूप के बयान कराये गये है जिनमे विवादित भूमि को रेस्पो/वादी का कब्जा माना है तथा इस भूमि बाबत पूर्व मे अपीलांट द्वारा विवाद करना भी अपने बयानो मे माना है। विवादित भूमि रेस्पो/वादी को आवंटित हुई है जिसकी पुष्टि आवंटन आदेश प्रदर्श 6 एवं प्रोसिडिग रजिस्टर प्रदर्श 5 से बखूबी साबित है। इसी प्रकार माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 7.9.98 प्रदर्श 3 से भी बखूबी साबित है कि भूमि का आवंटन रेस्पो/वादी को हुआ है। अपीलांट द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु माननीय राजस्व मंडल अजमेर तक अपील प्रस्तुत की है परन्तु उनको कोई सफलता नही मिली है। वादी/रेस्पो0 को हुए आवंटन को ही बहाल रखा गया है। अपीलांट का यह कथन मनगढन्त है कि उनको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सुनवाई का मौका नही दिया गया है जबकि सत्यता यह है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण की और से श्री सुधीर कुमार जैन अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुए है। जिनके द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया है। उनके द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत नही करने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार प्रतिवादीगण/अपीलांट का जबाब बंद किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधिक निर्णय है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आया कि विवाद मुख्य रूप से आराजी खसरा न0 664 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा [illegible] है। अपीलांट का कथन रहा कि उक्त विवादित आराजी पूर्णतः छोटी कटरी के रूप मे कृष्ण कुमार धाकड के नाम नीलामी बौली मे सबसे उच्च वोली लगने से आवंटन हुई थी। तथा उक्त भूमि अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

की खातेदारी की मेड के पास आपस मे लगी हुई भूमि है जिस पर अपीलांट नीलामी के दिन से काबिज काश्त होकर लाभान्वित होता चला आ रहा है। इसी प्रकार रेस्पो/वादी का कथन रहा कि विवादित आराजी रेस्पो/वादी को आवंटित हुई है जिस पर वह काविज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे स्थाई निषेधाज्ञा का दावा कर अपीलांट/प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने की इस्तदुआ चाही गई थी। अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावा पेश करने हेतु अवसर चाहा गया परन्तु जबाब दावा पेश नही करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण का जबाब बंद दिया जाकर वादी/रेस्पो0 की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। जिसके कारण अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्राप्त नही होना स्पष्ट जाहिर है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे बिना तनकीयात कायम किये ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। जबकि विधि अनुसार निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मे विधिक त्रुटि होने एवं एक पक्षीय निर्णय होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर साक्ष्य ली जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के मुकदमा न0 247/99 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.2.02 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता कि प्रकरण मे उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर विवेचन किये जाने के उपरान्त पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 7.7.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:48 IST
Reason: SelfAttested